न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी — श्रीमती [illegible]

राजस्व वाद पत्र संख्या [illegible]

टीसीएमएस नं. [illegible]

प्रार्थी

रामलाल पुत्र पूनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। — बनाम — अप्रार्थीगण 1. तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — दर्ज तारीख [illegible]

श्री अब्दुल सलीम खान विद्वान प्रार्थी वकील

राजकीय पैरोकार — अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक [illegible]

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम बोरून्दा पटवार, हल्का बोरून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सरहद में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 80 / 9 रकबा 0.9142 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है जिसके सबूत के रूप में जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 की सलग्न, पेश है व ट्रेस नक्शा की सलग्न पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की खरीदशुदा कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है जिस पर प्रार्थी खरीद की तारीख से ही कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 80/9 में आवागमन हेतु प्रार्थी मुख्य सड़क से कंटाणी रास्ते से होकर खसरा संख्या 80 किस्म सरकारी भूमि में से सलग्न नक्शे मे लाल स्याही से मार्क रास्ते से कटाण रास्ते तक आवागमन करते रहे हैं प्रार्थी वर्णित खसरा संख्या 80/9 में काश्त करने हेतु व अन्य प्रकार से उपयोग उपभोग व देख रेख करने हेतु आवागमन करता आ रहा है इससे पूर्व यानि प्रार्थी को बेचानकर्ता व उनके पूर्वज भी उक्त खसरे में आने जाने हेतु इसी खसरा संख्या 80 में से कटान रास्ते तक प्रार्थी के खसरा संख्या 80/ 9 की उतरी सीमा से लेकर खसरा संख्या 80 में से उतर की तरफ पड़ने वाले कटाण रास्ता खसरा संख्या का उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा प्रार्थी भी उक्त कंटाणे रास्ते से होते हुए वादग्रस्त आराजी का उपयोग उपभोग करता है तथा काश्त हेतु आवागमन

उपखण्ड अधिकारी
पी.

करते हुए अपने मवेशियों कृषि के संसाधनों बैलगाडी, ट्रेक्टर व अन्य संसाधन उपयोग लिये जाते है इसी रास्ते से कंटाणी रास्ते से लेकर वादग्रस्त आराजी तक उपयोग उपभोग करता आ रहा है जिसमे कभी भी किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी पैदा नहीं की है। प्रार्थी अपने उक्त वर्णित खेत खसरा संख्या 80 / 9 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 80 में से उतर की तरफ पड़ने वाले कटाण रास्ते तक रास्ते के रूप मे आदी काल से उपयोग उपभोग करता आ रहा है जो सरकारी खसरे की भूमि है परन्तु प्रार्थी को अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि वर्तमान परिदर्शय में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बढ़ रहा है एवं लोग जगह–जगह जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहे है इसलिए प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु उक्त वर्णित रास्ता जो वर्तमान में तरमिम नहीं है को तरमिम करा राजस्व रेकर्ड में सरकारी रास्ते के रूप में अमल दरामद करवाना चाहता है इस बाबत लगने वाले राजस्व शूल्क को प्रार्थी सहर्ष अदा करने को तैयार है। ताकि प्रार्थी को भविष्य में अपनी कृषि भूमि के खेत में आने जाने हेतु रास्ते से महरूम नहीं होना पड़े। निकट भविष्य में उक्त रास्ता जो सरकारी भूमि में से होकर प्रार्थी के खेत में जाता है पर अतिकमणकारियो द्वारा अतिक्रमण कर अगर बंद कर दिया जाता है तो प्रार्थी के पास किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं रह जायेगा प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने से व उपयोग उपभोग करने वंचित रह जायेगा इसलिए प्रार्थी को उक्त रास्ता अप्रार्थी से दिलवाया जाना आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 180 / 9 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 80 में से उत्तर की तरफ पड़ने वाले कटाण रास्ते तक 30 फिट चौड़ाई में उतरी सीमा से 80/ 9 से लगाकर कटाण रास्ते तक सलग्न नजरिये नक्शे में लाल स्याही मार्क रास्ते के रूप में कंटाणी रास्ते तक राजकिय रास्ता घोषित किये जाने के सादर आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के प्रावधानों के अनुसार फरमाये जाने के सादर आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी सं. तहसीलदार पीपाड शहर का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट/जवाब प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर 80/9 जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है के पश्चिम में स्थित खसरानम्बर 80 जो राजकीय गै.मु.मगरा भूमि है में से मौके पर रास्ता चलता है प्रार्थी व अन्य खातेदारी इसी रास्ते से वर्षो से उपयोग एवं आवागमन करते है मौके पर उपस्थित मौतबिरान् ने भी अवगत करवाया कि उक्त रास्ता पीढ़ियो से चलता

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

है जिनके मौके पर रास्ता के निशानात् पाये गये। मौके पर चालू रास्ते का नजरी नक्शा अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है जो इस फर्द का भाग है। नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्ज बिन्दु A B C D जो प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है कि लम्बाई 80 गट्ठा, चौडाई 03 गट्ठा इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 0.12 बीघा अर्थात् 0.0970 हैक्टयर भूमि रास्ते की बनती है। जिनकी ग्राम बोरून्दा की वर्तमान DLC दर 370414 रूपये प्रति हैक्टयर (असिचिंत) की दर से राशि रूपये = 35970 की दुगुनी राशि 71940/– रूपये बनती हैं। इसी बाबत् पुनः तहसीलदार पीपाड़ शहर से पुनः रिपोर्ट चाही गयी जो इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी तक पहुचंने के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया । प्रार्थी की मांग अनुसार खसरानम्बर 80 जो गै.मु. मगरा राजकीय भूमि हैं में से मौके पर कदीमी रास्ता चलता है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक निकटतम रास्ता नही होने से प्रस्तावित किया है उक्त रास्ता व्यवहारिक एवं उचित है। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा एवं मौके रिपोर्ट पूर्व में दिनांक 25.07.2022 को दी जा चुकी हैं। प्रस्तावित रास्ते की की लम्बाई 80 गट्ठा एवं चौड़ाई 3 गट्ठा अनुसार कुल रकबा 0.12 बीघा (0.0970 हैक्टयर) बनती हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 80/9 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 80 में से उत्तरी तरफ पड़ने वाले कटाण रास्ते तक 30 फीट चौड़ाई में उत्तरी सीमा से 80/9 से लगाकर कटाण रास्ते तक संलग्न जरीये नजरी नक्शे में लाल स्याही से मार्क रास्ते के रूप में कटाणी रास्ते तक राजकीय रास्ता घोषित किये जाने हेतु आदेश फरमानें का निवेदन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार लाल स्याही से दर्शाये एबीसीडी रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का परिशीलन किया गया । तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया है कि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नही हैं व उक्त रास्ता प्रार्थी हेतु आत्यांतिक आवश्यकता का है व रास्ता व्यवहारिक व उचित हैं एवं उक्त रास्ता पूर्व से ही कदीमी रूप से चलता हैं। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट 16.07.2022 के अनुसार लाल स्याही से दर्शाये

उपखण्ड अधिकारी

अनुसार खसरा नम्बर 80/9 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 80 में से लाल स्याही से दर्शाये अनुसार मार्क एबीसीडी लम्बाई 80 गट्टा, चौड़ाई 03 गट्टा कुल क्षेत्रफल 0.12 बीघा अर्थात् 0.0970 हैक्टयर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती हैं। जिनकी ग्राम बोरून्दा की वर्तमान DLC दर 370414/– रूपये प्रति हैक्टयर (असिंचित) की दर से राशि रूपये = 35970 की दुगुनी राशि 71940/– रूपये बनती हैं। मौका कमिश्नर रिपोर्ट व नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त डीएलसी दर अनुसार 71940/– रूपये जरीये चैक/डी.डी द्वारा मार्फत तहसीलदार भुगतान करें /राजकोष में जमा करावें। उक्त रास्ते की भूमि तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर